एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2014
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (भाग-II)

1.	विनियम 2014 कब प्रभावी होंगे?	एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2014, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात 01.12.2014 से प्रभावी हैं।
2.क)	जिन कार्यक्रमों की अवधि दोगुनी कर दी गई है, उनके लिए पाठ्यक्रम शुल्क कौन तय करेगा? क्या इसे बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा?	पाठ्यक्रम शुल्क राज्य सरकार/संबद्धता प्रदान करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित/तय किया जाएगा।
ख)	दो वर्षीय बीएड कार्यक्रम के लिए शुल्क संरचना क्या होगी?	
3.	क्या शैक्षणिक वर्ष 2015-16 बीएड एवं एमएड कार्यक्रमों के लिए अंतराल वर्ष होगा?	नहीं, शैक्षणिक वर्ष 2015-16 अंतराल वर्ष नहीं होगा। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले मौजूदा संस्थान निर्धारित प्रारूप में विनियम 2014 को अपनाने की अपनी इच्छा दर्शाते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे और संबंधित एनसीटीई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उन्हें संशोधित मान्यता पत्र जारी किया जाएगा। 2- वर्षीय बीएड और 2-वर्षीय एमएड कार्यक्रम 2015-16 सत्र से ही प्रस्तुत किए जाएंगे।
4.	तीन सेमेस्टर वाले बीएड (नवाचार) कार्यक्रम में क्या परिवर्तन किए गए हैं?	एनसीटीई (मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम 2014 के अनुसार, बीएड (नवाचार) कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पाठ्यक्रम कुछ समय तक चलेगा और समय के साथ इसे औपचारिक पाठ्यक्रम में बदल दिया जाएगा।
5.	यदि बीए बीएड /बीएससी बीएड एकीकृत कार्यक्रम चार वर्षों में पूरा किया जा सकता है, तो 3-वर्षीय स्नातक + 2-वर्षीय बीएड पर जोर देने के पीछे क्या तर्क है?	अध्यापक शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम, जैसे बीए बीएड/बीएससी बीएड का उद्देश्य सामान्य अध्ययन और व्यावसायिक अध्ययन को एकीकृत करना है, जिसमें शिक्षा की नींव, स्कूल विषयों का शिक्षाशास्त्र और स्कूल शिक्षक के कार्यों से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान शामिल हैं। यह कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सिद्धांत और व्यवहार के बीच संतुलन बनाए रखता है, जबकि बीए/बीएससी/बी कॉम, जैसी सामान्य शिक्षा की अलग-अलग पढ़ाई और बीएड, जैसी व्यावसायिक पढ़ाई छात्रों को ऐसा अवसर प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार, बीएड कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है। किसी भी वरिष्ठ माध्यमिक/+2 स्नातक के पास दो विकल्प हैं-- या तो स्नातक की पढ़ाई पूरी करके 2-वर्षीय बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लें या 4- वर्षीय एकीकृत बीए बीएड/बीएससी बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लें। दोनों कार्यक्रम माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए पात्र बनाते हैं।
6.	एकीकृत बीएड एमएड पाठ्यक्रम की अवधि केवल तीन वर्ष है। यदि कोई छात्र बीएड और एमएड पाठ्यक्रम एक के	तीन वर्ष की अवधि वाला एकीकृत बीएड एमएड कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है, जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक-शिक्षक/पाठ्यचर्या विकसित करने वाले/ शैक्षणिक नीति

	बाद एक चुनता है, तो उसे चार वर्ष के अध्ययन का बोझ क्यों उठाना चाहिए?	विश्लेषक/शैक्षणिक योजनाकार और प्रशासक/शोधकर्ता के रूप में अपना करियर शुरु करना चाहते हैं। 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने से पहले बीच में पढ़ाई छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।
7.	क्या कोई नया संस्थान एक समग्र संस्थान बनने के लिए बीएड (दो वर्षीय) कार्यक्रम और एकीकृत बीए/बीएससी बीएड कार्यक्रम के लिए एक साथ मान्यता प्राप्त कर सकता है?	हां, एक नया संस्थान बीएड (2 वर्ष) कार्यक्रम और बीएड एकीकृत कार्यक्रम के लिए एक प्रयास में मान्यता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम-2014 के अनुसार सभी मानदंड पूरे किए जाएं। एक नया आवेदक अकेले अध्यापक शिक्षा संस्थान/कार्यक्रम शुरु नहीं कर सकता है।
8.	एनसीटीई ऐसे कॉलेजों में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करके छात्रों को क्या शैक्षणिक लाभ उपलब्ध कराना चाहता है, जो स्वयं मुक्त शिक्षा की सभी धाराओं में पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते हैं?	संस्थानों (मुक्त शिक्षा/अध्यापक शिक्षा) में उपलब्ध अवसंरचना और अन्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समग्र संस्थान में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा रही है।
9.	क्या कोई शैक्षणिक संस्थान अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरु करने के बाद अध्यापक शिक्षा संस्थान बन जाएगा?	नहीं, कोई शैक्षणिक संस्थान अपने संस्थान में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करके अध्यापक शिक्षा संस्थान नहीं बन जाएगा। तथापि, संस्थान के भीतर ही एक अध्यापक शिक्षा विभाग होगा और इसे एक समग्र संस्थान माना जाएगा।
10.	क्या एनसीटीई अधिनियम, 1993 किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति देता है?	एनसीटीई अधिनियम 1993 के अध्याय 4 (अध्यापक शिक्षा संस्थान की मान्यता) की धारा 14(1) के अनुसार, "प्रत्येक संस्थान, जो नियत दिन को या उसके पश्चात अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है या प्रदान करने का इरादा रखता है, इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से आवेदन कर सकता है, जैसा विनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।"
11.	क्या बुनियादी इकाई में प्रवेश को 100 से घटाकर 50 करने से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी और गरीब छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होगा?	नहीं, इससे गरीब छात्रों के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अध्यापक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, संस्थान में 100 छात्रों की संख्या बनाए रखने के लिए, यह 50-50 की दो बुनियादी इकाइयाँ चलाने का विकल्प चुन सकता है।
12.	न्यूनतम निर्धारित भूमि क्षेत्र पर संचालित होने वाला एक एकल बुनियादी शिक्षा संस्थान किस प्रकार धीरे-धीरे एक समग्र संस्थान बन जाता है?	न्यूनतम निर्धारित भूमि क्षेत्र पर संचालित होने वाले एकल संस्थान को एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2014 के विनियम 8(4) में यथा निर्धारित स्वामित्व आधार/पट्टा आधार पर अतिरिक्त भूमि खरीदनी होगी तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराना होगा।
13.	एक सोसायटी/मौजूदा संस्थान एक ही राज्य के दो अलग-अलग जिलों में दो अध्यापक शिक्षा	नहीं, इसे समग्र संस्थान नहीं माना जाएगा। समग्र संस्थान बनने के लिए दोनों कार्यक्रम एक ही परिसर में चलने चाहिए।

	कार्यक्रम चला रही है। क्या इसे एक समग्र संस्थान माना जाएगा?	
14.	2-वर्षीय बीएड कार्यक्रम और 4-वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा/बनाएगा?	संबंधित विश्वविद्यालय/संबद्धता प्रदान करने वाले निकाय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित/तैयार करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं; और एनसीटीई ने विश्वविद्यालयों और संबद्धता प्रदान करने वाले निकायों की सुविधा के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
15.	क्या एकीकृत बीए बीएड/ बीएससी बीएड कार्यक्रमों की 2 इकाइयों को एक ही संशोधित मान्यता आदेश में मान्यता प्रदान की जा सकती है?	हां, यदि संस्थान पहले से ही एकीकृत बीए बीएड/बीएससी बीएड कार्यक्रम चला रहा है, तो संस्थान को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें नए विनियम 2014 के अंतर्गत आने की तथा अधिमानतः 2016-17 तक समग्र संस्थान बनने की इच्छा दर्शाई जाएगी (यदि वे समग्र संस्थान के रूप में विचार किए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं)।
16.क)	क्या किसी मौजूदा बीएड कॉलेज को एमएड कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जा सकती है?	हां, यदि मौजूदा बीएड कॉलेज एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2014 के अनुसार अवसंरचनात्मक/अनुदेशात्मक और वित्तीय मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें एमएड कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि- 1) संस्थान न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाला हो; 2) किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो; और 3) एनएएसी या एनसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी से मान्यता के लिए आवेदन किया हो।
ख)	क्या कोई नई सोसायटी एमएड कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकती है?	नहीं।
17.	यदि अध्यापक शिक्षा संस्थान एक समग्र संस्थान है, तो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम कुल संख्या कितनी होगी?	अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक संस्थान में प्रारंभ में 50-50 छात्रों वाली दो बुनियादी इकाइयां हो सकती हैं, अर्थात् दो-वर्षीय कार्यक्रम के लिए छात्रों की कुल संख्या 200 होगी।
18.	जिन संस्थानों ने 4 इकाइयां चलाने का विकल्प चुना है, उन पर अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की शर्त कब लागू होगी?	प्रारंभ में किसी संस्थान में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए केवल दो इकाइयों को अनुमति दी जाएगी तथा यदि कोई अतिरिक्त स्टाफ होगा तो उसे 31 अक्तूबर, 2015 तक नियुक्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित क्षेत्रीय समिति को इस बारे में सूचित किया जाएगा।